में छपा, वह मैं आपको दे सकता हूं । मेरा प्रश्न यह है कि अभी तक आपने इनका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जिसे देखने के लिए दुनिया से लोग आते हैं, अगर वह भी हमारे यहां से चली जाती हैं तो उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं ? क्या आस्थियों और ऐसी कीमती चीजों के बारे में, जैसा आपने कहा कि आर्कियालाजिकल डिपार्टमेंट के अन्दर आती हैं कि नहीं, क्योंकि सांची का स्तूप पुरातत्व विभाग के अन्दर है, तो जब अस्थियां भी चोरी हो जायेंगी तो क्या होगा ? आपका जो कानून 1976 का बना हुआ है, इसमें इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है ।

श्री सभापति : यह लीगल प्वायंट है, उसमें इसका प्राविजन नहीं है ।

श्री लाडली मोहन निगम : तो आस्थिया जो चोरी हुई हैं, क्या उसका पता लगायेंगी और दूसरी चीज यह है कि ऐसा न हो, इसके लिए इस कानून में संशोधन करेंगी कि नहीं ?

श्रीमती शीला कौल : मैंने पहले जिक्र किया है कि अगर हमारे कानून में कुछ कमी है तो मुझे आपसे दरख्वास्त है कि आप इस कानून की कमी को दूर करने के लिए सजेशन दीजिए ।

श्री लाडली मोहन निगम : आपको पता चलेगा कि सांची में . . .

श्री सभापति : आपने अच्छा किया कि उनकी तवज्जह इधर रजू कर दी । अब उनको मालूम हो गया कि उसमें और बहुत सी चीजों को प्रोटेक्शन देना चाहिए ।

श्री लाडली मोहन निगम : आप इसकी जांच करायेंगी ?

श्रीमती शीला कौल : जिसका आपने जिक्र किया है, इसकी जानकारी लेकर आपको बताऊंगी ।

भारतीय दूतावासों तथा उच्चायोगों में तैनात राजदूत और अधिकारी

*382. **श्री हुकमदेव नारायण यादव :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में तैनात राजदूतों और उच्चायुक्तों की संख्या कितनी है और उसमें हरिजनों, आदिवासियों, महिलाओं एवं पिछड़े वर्गों के लोगों की संख्या कितनी है; और

(ख) भारतीय दूतावासों एवं उच्चायोगों में काम कर रहे प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उसमें उक्त चार वर्गों के लोगों की संख्या और उसका प्रतिशत क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) 1-9-81 तक की स्थिति के अनुसार 95 राजदूत/हाई कमिश्नर विदेशों में काम कर रहे थे । इनमें से 4 अनुसूचित जाति के, 4 अनुसूचित जनजाति के और दो महिलायें हैं ।

(ख) इसका विवरण विदेश स्थित अपने मिशनों से एकत्र किया जा रहा है और सदन की मेज पर रख दिया जायेगा ।

श्री हुकमदेव नारायण यादव : सभापति महोदय, मैंने सरकार से जो प्रश्न किया था, सब से पहले इस पर ही मुझे तकलीफ है और इस पर सदन को भी तकलीफ है । सरकार को भी सोचना चाहिए कि प्रश्न के खण्ड 2 का उत्तर ही नहीं आया और सदन के पटल पर आयेगा तो भी हम पूछ सकेंगे क्यों कि असली प्रश्न वही था । खंड 2 में था कि विदेशों में भारतीय दूतावासों के जो कार्यालय हैं उनमें जितने सरकारी कर्मचारी है, उनमें हरिजन आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोगों और महिलाओं की संख्या कितनी है . . . **(व्यवधान)**

मुसलमानों को मैं धार्मिक अल्पसंख्यक कहता हूं । उसका उत्तर ही नहीं आया। सरकार को अब तक इसकी जानकारी नहीं है तो मेरा पहला पूरक यही होगा कि सरकार ने जब तक इस मामले में जानकारी लेने का प्रयास नहीं किया और सरकार को इसकी जानकारी नहीं है, इसका कारण क्या है ? हरिजन आदिवासी वहां हैं उनके बारे में सरकार ने अभी तक जानकारी नहीं रखी है और सरकार ने जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं की इसके लिये कौन दोषी है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : श्रीमन् इससे पहले भी माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा था। मैंने यह सारी जानकारी प्राप्त की अपने मिशनों से । मैंने उसको अप्रूव किया है । आज या कल वह सभा में आ जाएगी लेकिन मुश्किल यह है कि वह जो जानकारी है वह पहली जनवरी तक वाली है और अब आप पहली सितम्बर तक चाहते हैं। इस लिए इसमें थोड़ा हेर-फेर करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा । दो-तीन दिन भी नहीं आज या कल सारी जानकारी आ जाएगी, मैंने उसको अप्रूव कर दिया है । माननीय सदस्य उसको देख लें और देखने के बाद अगर उनको उससे असंतोष है तो वह बताएं ।

(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : सभापति महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि विदेशों में जो 95 राजदूत या उच्चायुक्त हैं और जिसमें चार हरिजन, चार आदिवासी, दो महिलाएं हैं तो क्या सरकार इसको मानती है कि इनकी संख्या उपयुक्त है ? जहां तक मेरी जानकारी है भारत में आबादी महिलाओं की 50 फी सदी है और केवल दो महिला ही राजदूत या उच्चायुक्त के पद पर हैं । क्या सरकार इसको उचित मानती है ? अन्य सेवाओं में हरिजनों के लिये, आदिवासियों के लिए 24 परसेंट पदों को आरक्षित किया है। प्रतियोगिता की मारफत आई० पी० एस०, आई० ए० एस० में 24 परसेंट पदों पर हरिजन, आदिवासी लोगों को लिया जाता है जबकि राजदूत और उच्चायुक्त के पदों पर सरकार द्वारा मनोनित किया जाता है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन पदों पर आरक्षित स्थानों के अनुपात से भर्ती क्यों नहीं की जाती ? चाहे सरकार आप से पहले सत्ता में आई हो या आप आए हों सब इसमें दोषी माने जा सकते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उसी तरह से इन पदों पर भी नियुक्ति करने के लिए सरकार तैयार है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इसमें दोष का कोई प्रश्न नहीं है । यह तो पहले से नियुक्ति होती आई है । पहले कभी अगर अनुसुचित जन जाति के कंडीडेट नहीं मिलते थे तो दूसरे लोगों को ले लिया जाता था लेकिन आज कल ऐसा नहीं हो रहा है । वे उपलब्ध हैं इसलिए ऐसी कोई बात नहीं होगी। यह जो संख्या है यह 25-30 साल पहले से चली आ रही है । सदन में जो मैंने जानकारी दी है उसे माननीय सदस्य देख लें । आजकल बड़ी पाबन्दी से उसका अनुसरण हो रहा है, यही मैं आप को आश्वासन देना चाहता हूं ।

SHRI PILOO MODY: What he is saying is, ask the question after ten years.

श्री पी० वी० नरसिंह राव : नो सर, तीन महीने पहले आप पूछते तो महिलाओं की संख्या एक ज्यादा होती । लेकिन अभी एक रिटायरमेंट हुई है इसलिए तीन के बजाय दो हो गई है ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : सभापति महोदय, मेरा उत्तर नहीं आया ।

श्री सभापति : आप के दो सवाल हो चुके हैं ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : मेरा उत्तर नहीं आया ।

श्री सभापति : उन्होंने बता तो दिया कि इसके लिए यह है । उन्नीसवीं सदी का किस्सा है दो-चार बरस की बात नहीं ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आपने जो संख्या मांगी है हैड आफ मिशंस की मांगी है । आई० एफ० एस० में महिलाओं की संख्या 43 है । यह कोई कम संख्या नहीं है ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : मैंने 95 के बारे में पूछा है ।

श्री सभापति : किसी दूसरे को भी पूछने देंगे या नहीं ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : जरूर पूछने देंगे । 51 परसेंट, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उन्हें एक भी स्थान नहीं दिया गया है । ऐसा क्यों ?

श्री सभापति : यहां पर महिलाओं की तादाद बहुत कम है । क्या यहां पर भी बुलवा दिया जाए ।

श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय : श्रीमन्, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस सुझाव पर विचार करेंगे कि जो पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देशों में जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियां चल रही है उसमें किसी कैरियर डिपलोमेट को न रख कर पालिटिकल डिप्लोमेट को रखा जाए ताकि वहां की राजनीतिक गतिविधियों को ठीक तरीके से देश के सामने रखा जा सके और उसका निराकरण किया जा सके ? क्या इस प्रकार के सुजेशन को आप मानेंगे ?

SHRI SANKAR PRASAD MITRA: This is an irrelevant question.

(Interruptions)

श्री सभापति : वे तो मेरी नजर को छोड़कर यहां आ गये ।

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: Sir, on this I have nothing to say because we cannot have hard and fast rules; we will have to see the merits of the person.

SHRI M. R. KRISHNA: Sir, I want to know whether these people who have reached the rank of Ambassador from among the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have reached this position after getting any special training which has been given to them or without any training. In case they have come up on their own merit, is the Government considering to impart special coaching or training for them so that more number of such people can go to IFS?

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: Sir, those who have come up have come up on their own ; they were selected on merit. Therefore, there is no question of training in their case. So far as the question of training those who are intending to be candidates for the IFS is concerned, there are some training facilities, but I would not be in a position to tell the details just now.

SHRI SYED SHAHABUDDIN: Mr. Chairman, Sir, there are two types of Heads of Mission, if I may say so, the cadre officers and the poltical appointees. *(Interruptions)* Sir, I was mentioning that there are two categories of Heads of Missions, the career diplomats and the political appointees. The career diplomats are those who belong to the Indian

Foreign Service and the political appointees are those who do not belong to the Indian Foreign Service or any other Central Service. I would like to know out of these 95 who were in position on the 1st September, how many are political appointees and out of the eight belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes—four from the Scheduled Castes and four from the Scheduled Tribes—how many belong to the second category of political appointees.

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: I do not have the accurate break-up. But I can say in general that the number of political appointees is very much less. I think during the last one and a half years we have made just four or five political appointments. I could not give you the exact figure, but it is of that order.

SHRI RAMAKRISHNA HEGDE: Will the Government consider to send more people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes?

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: Yes. Mr. Narayanan was sent to Washington, one of the prestigious Missions.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Sir, is it not a fact that of late most of those coming at the top of the selection list have been refusing to go into the Indian Foreign Service and opting to stay at home? This was the report which we had read recently. I would like to ask the hon. Minister the reason why the best people are refusing to go abroad as the Government representatives. Then, Sir, he just said that the number of women was more earlier and it is less now. तीन महीने पहले तो ज्यादा था, लेकिन अभी कम हो रहा है।

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: It so happened that three months ago there was a retirement.

SHRIMATI MARGARET ALVA: I would like to ask the hon. Minister whether he is aware that of one of his senior officers had to go to the Supreme Court in order to be guaranteed of her rights in the service and be allowed her seniority. Then, after a long drawn-out battle, on the eve of the judgment which was going in her favour, they suddenly gave her the status of Head of a Mission. Under these circumstances, I would like to ask the hon. Minister whether it is not a fact that in his Ministry there is a great deal of discrimination against women who are there.

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: I do not want to go into individual cases. The Supreme Court is open both to men and women.

SHRIMATI MARGARET ALVA: She was not given promotion till the Supreme Court intervened.

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: That is why I said it is an individual case, whether of a man or a woman. It is a question of fighting for his or her rights. What this proves is that women are also capable of fighting.

SHRIMATI MARGARET ALVA: They are also capable of being appointed as Heads of Missions. But that you do not accept.

MR. CHAIRMAN: They are also capable of fighting here.

श्री राम भगत पासवान : श्रीमन्, मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कंडीडेट्स के अवोलेबल न होने पर दूसरों को नियुक्त कर लेते हैं। यह 25 वर्ष पहले की बात मंत्री महोदय कह रहे हैं। अब ऐसी बात नहीं है। हर जगह के लिए शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कंडीडेट्स अवीलेबल हैं। लेकिन बड़े लोगों की मनोवृत्ति वही पुरानी है। जो अप्वाइंटिंग अथारिटी हैं वे अभी भी हरिजनों और दूसरी पिछड़ी जातियों के लोगों के प्रति ऊंच नीच की भावना रखते हैं।

श्री सभापति : आप सवाल पूछिये।

श्री राम भगत पासवान : और इसलिए हरिजन कंडोडेट्स के लिए नट फाउन्ड सुटेबल का चार्ज लगाकर उनको नहीं रखते हैं। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उनके आरक्षण कोटे पर दूसरी जाति के लोगों को अभी तक आप नियुक्ति करते आ रहे है लेकिन क्या अब फ्यूचर में जो वेकेंसीज होंगी, उनमें जो शड्यल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कंडोडेट्स के लिए आरक्षित होंगे तो उस आरक्षित कोटे को आप शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कंडोडेट्स से ही पूरा करेंगे या नहीं ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इस पर बड़ी गलतफहमी हो रही है। प्रश्न यह है कि हैड आफ कमीशन की सर्विस में कितने लोग है, समूचे सर्विस में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि हेड आफ कमीशन वही होते हैं जो सीनियर होते हैं और 12-15 या 20 साल पहले जिनकी नियुक्ति होती है। उस कैटेगरी में जितने लोग है, वह संख्या मैंने दी। लेकिन आजकल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कंडोडेट्स, उम्मीदवार, जिस संख्या में हमको चाहिये, उस संख्या में उपलब्ध हैं चौर उनको लेने में कोई कठिनाई नहीं है। दो-चार साल के बाद जब वे सीनियर हो जायेंगे तो वे भी हैड आफ कमीशन होंगे, यह मेरा कहना है।

MR. CHAIRMAN: Question No. 383 transferred.

SHRI KRISHNA CHANDRA PANT: It is certainly a question to be dealt with by the External Affairs Ministry. I cannot understand this transfer. You read it.

MR. CHAIRMAN: It is now transferred.

SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI: Wrongly transferred.

MR. CHAIRMAN: Next week we will take it up. There is no doubt about it.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): The subject itself has been transferred.

MR. CHAIRMAN: Does not matter. I will consider it.

SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI: I know that 'recruitment of Indian labour and their sending to foreign countries' has been transferred to the Department of Labour but not the 'treatment to Indian labour abroad.'

श्री सभापति इस वक्त रोकिये नही मैं उसको कंसीडर करके नेक्स्ट वीक में डाल दूंगा। आप इत्मीनान रखें।

*383. [*Transferred to the 17th September, 1981.*]

*384. [*The questioner (Shri Rameshwar Singh) was absent. For answer* vide cols. 33-34 Infra.

C.G.H.S. Dispensary at Ghaziabad

*385. DR. SARUP SINGH:†
SHRI SATYA PAL MALIK:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that a local chemist in Ghaziabad refused to supply medicines to the Central Government Health Services dispensary in Ghaziabad because he has not been paid his dues for about one year and as a result thereof patients are being denied life-saving drugs prescribed by the specialists;

(b) whether it is a fact that patients from Ghaziabad are required to get the specialists' prescriptions countersigned by the Director CGHS in the Nirman Bhavan, New Delhi, before they can purchase those medicines; and

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Sarup Singh.